न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 427/2025

अनवान : —

1. विपिन कुमार पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी चक 10 एजीए चाहुवाली त0 टिब्बी ।

वादी

बनाम्

1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्रवण सिंह जाति जाट निवासी चक 10 एजीए चाहुवाली तहसील टिब्बी।
2. कलावती पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी चक 10 एजीए चाहुवाली त0 टिब्बी।
3. मोनिका पुत्री महेन्द्र सिंह पत्नी दीपेन्द्र जाति जाट निवासी नजदीक धान मण्डी रावतसर जिला हनुमानगढ़।।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा
अन्तर्गत धारा 88 आरटीए
श्री कुन्दनलाल अधिवक्ता वादी
श्री विकास शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक....29.10.25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रतिवादी स0 1 के नाम से तहसील टिब्बी के पटवार हल्का चाहूवाली के चक 10 ए.जी.ए. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता स० 65/61 में अंकित कुल 15.158 हैक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्सा, चक 10 ए. जी. ए. के वर्तमान संयुक्त खाता स० 12/60 में अंकित कुल 2.177 हैक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि व चक 10 ए. जी. के खाता स. 72/96 में अंकित कुल 7.769 हैक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है । वाद पत्र की चरण स० 3 में अंकित भूमि वादी की पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का जन्मजात हक व हिस्सा निहित है । वादी ने प्रतिवादीगण से वाद पत्र की चरण स० 3 में अंकित भूमि में से अपने हक व हिस्सानुसार भूमि की मांग की तो प्रतिवादी स० 1 ने घरू बंटवारा कर आंशिक रूप से वादी को प्रतिवादी स० 1 के नाम अंकित चक 10 ए. जी. ए. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता स० 65 / 61 में अंकित कुल 15.158 हैक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्सा में से 1.771 हैक्टेयर भूमि, चक 10 ए. जी. ए. के वर्तमान संयुक्त खाता स० 12/60 में अंकित कुल 2.177 हैक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि में 0.506 हैक्टेयर व चक 10 ए.जी. के खाता स. 72/96 में अंकित कुल 7.769 हैक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्सा कृषि भूमि में 1.518 हैक्टेयर कृषि भूमि बांटकर दे दी है जिस पर घरू बंटवारा के समय से वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा रकमराज अदा करते हुये आ रहे है तथा प्रतिवादिया स० 3 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि का हक त्याग वादी के पक्ष में मौखिक रूप से बंटवारा के समय ही कर दिया था । वादी को बंटवारा में मिली भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से व भूमि प्रतिवादी स० 1 के नाम दर्ज रहने से वादी के विधिक अधिकारों पर बेजा असर पड़ता है व वादी को फसलाना ऋण लेने, रकमराज अदा करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी घोषणात्मक डिक्री इस आशय की प्राप्ति का अधिकारी है कि प्रतिवादी स० 1 के

Scanned with CamScanner

नाम अंकित चक 10 ए. जी.ए. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता स० 65 / 61 मे अंकित कुल 15.158 हैक्टेयर भूमि में 1 / 3 हिस्सा में से 1.771 हैक्टेयर भूमि का, चक 10 ए.जी. ए. के वर्तमान संयुक्त खाता स० 12/60 में अंकित कुल 2.177 हैक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि में 0.506 हैक्टेयर भूमि का व चक 10 ए. जी. के खाता स. 72/96 में अंकित कुल 7.769 हैक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्सा कृषि भूमि मे 1.518 हैक्टेयर कृषि भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है । वादी ने प्रतिवादी स० 1 से मिलकर दो दिवस पूर्व मुकाम चाहूवाली में निवेदन किया कि वह भूमि मुताबिक घरू बंटवारा वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादी स० 1 ऐसा करने से कतई इन्कार हो गया। यही वाद कारण है । वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा अन्दर मियाद व उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है । अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावें घोषणा इस आशय की जारी फरमायी जावे कि प्रतिवादी स० 1 के नाम अंकित चक 10 ए.जी. ए. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता स0 65/61 में अंकित कुल 15.158 हैक्टेयर भूमि में 1 / 3 हिस्सा में से 1.771 हैक्टेयर भूमि का, चक 10 ए. जी. ए. के वर्तमान संयुक्त खाता स० 12/60 में अंकित कुल 2.177 हैक्टेयर भूमि में 1 / 3 हिस्सा भूमि में 0.506 हैक्टेयर भूमि का व चक 10 ए. जी. के खाता स. 72/96 में अंकित कुल 7.769 हैक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्सा कृषि भूमि में 1.518 हैक्टेयर कृषि भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार उक्त खाते में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व प्रतिवादी स० 1 का शेष हिस्सा यथावत रखा जावे ।

वाद पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 1 पते से सम्बंधित है जो सत्य होने से स्वीकार है। वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित वंशावली से सम्बंधित है जो सत्य होने से स्वीकार है । वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित कथन राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित है जो स्वीकार है । वाद पत्र की दफा 4 में वर्णित कथन सत्य होने से स्वीकार है। वाद पत्र की दफा 5 में वर्णित कथन सत्य होने से स्वीकार है। वादी का यह कथन कि वादी ने प्रतिवादीगण से वाद पत्र की चरण स० 3 में अंकित भूमि में से अपने हक व हिस्सानुसार भूमि की मांग की तो प्रतिवादी स० 1 ने घरू बंटवारा कर आंशिक रूप से वादी को प्रतिवादी स0 1 के नाम अंकित चक 10 ए.जी. ए. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता स० 65 / 61 में अंकित कुल 15.158 हैक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्सा में से 1.771 हैक्टेयर भूमि, चक 10 ए. जी. ए. के वर्तमान संयुक्त खाता स० 12/60 में अंकित कुल 2.177 हैक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि में 0.506 हैक्टेयर व चक 10 ए.जी. के खाता स. 72/96 में अंकित कुल 7.769 हैक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्सा कृषि भूमि में 1.518 हैक्टेयर कृषि भूमि बांटकर दे दी है जिस पर घरू बंटवारा के समय से वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा रकमराज अदा करते हुये आ रहे है तथा प्रतिवादिया स० 3 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि का हकं त्याग वादी के पक्ष में मौखिक रूप से बंटवारा के समय ही कर दिया था । वाद पत्र की दफा 6 में वर्णित कथन सत्य होने से स्वीकार है । वाद पत्र की दफा 7 में वर्णित कथन वाद कारण हासिल करने के लिए अंकित किये गये है वाद पत्र की दफा 8 कानूनी है । अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि यदि प्रतिवादी स० 1 के नाम अंकित चक 10 ए.जी. ए. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान

Scanned with CamScanner

संयुक्त खाता सं. 65/81 में अंकित कुल 15.158 हैक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्सा में से 1.111 हैक्टेयर भूमि का, चक 10 ए.डी.ए. के वर्तमान संयुक्त खाता सं. 12/80 में अंकित कुल 2.177 हैक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि में [illegible] हैक्टेयर भूमि का व चक 10 ए. डी. के खाता सं. 72/96 में अंकित कुल 7.763 हैक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि भूमि में 1.518 हैक्टेयर भूमि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार उक्त खातों में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है तथा प्रतिवादी सं. 1 का शेष हिस्सा यथावत रखा जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज व ऐतराज नहीं होगा। हम प्रतिवादीगण सहमत है।

साक्ष्य वादी में वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाकर दस्तावेजी में प्रस्तुत जमाबंदी चक 10 एडीए खाता सं. 12/80 प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 10 एडी खाता सं. 72/96 प्रदर्श 2, जमाबंदी चक 10 एडीए खाता सं. 65/81 प्रदर्श 3, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि के संबंध में मुताबिक जवाबदावा दावा वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत जमाबंदी से दावा भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। एवं प्रतिवादी सं. 1 ने सदस्य प्रमाण पत्र के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया। पत्रावली का अवलोकन कर मुताबिक दस्तावेज एवं जवाब दावा दावा वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाता है एवं घोषणा की जाती है एवं मौजे मौजा चक 10 ए.डी.ए. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता सं. 65/81 में अंकित कुल 15.158 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के 1/3 हिस्सा में से वादी को 1.111है0 का खातेदार एवं चक 10 ए. डी. ए. के वर्तमान संयुक्त खाता सं. 12/80 में अंकित कुल 2.177 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के 1/3 हिस्सा भूमि में से वादी को 0.505है0 का खातेदार व इसी प्रकार चक 10 ए. डी. के खाता सं. 72/96 में अंकित कुल 7.763 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी के 1/3 हिस्सा में से वादी को 1.518है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर शेष हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रखा जावें। इसी अनुसार यदि कृषि भूमि बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया।

([illegible])
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 427/2025

अनवान : –

1 विपिन कुमार पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी चक 10 एजीए चाहुवाली त0 टिब्बी ।

वादी

बनाम

1 महेन्द्र सिंह पुत्र श्रवण सिंह जाति जाट निवासी चक 10 एजीए चाहुवाली तहसील टिब्बी।

2 कलावती पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी चक 10 एजीए चाहुवाली त0 टिब्बी।

3 मोनिका पुत्री महेन्द्र सिंह पत्नी दीपेन्द्र जाति जाट निवासी नजदीक धान मण्डी रावतसर जिला हनुमानगढ़।।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी श्री कुन्दनलाल व अधिवक्ता विकास शर्मा प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है रोही मौजा चक 10 ए.जी.ए. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता स० 65/61 में अंकित कुल 15.158 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के 1/3 हिस्सा में से वादी को 1.771है0 का खातेदार एंव चक 10 ए. जी. ए. के वर्तमान संयुक्त खाता स० 12/60 में अंकित कुल 2.177 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के 1/3 हिस्सा भूमि में से वादी को 0.506है0 का खोतदार व इसी प्रकार चक 10 ए. जी. के खाता स. 72/96 में अंकित कुल 7.769 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी के 1/3 हिस्सा में से वादी को 1.518है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर शेष हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 के नाम यथावत् रखा जावें। इसी अनुसार यदि कृषि भूमि बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना–अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 29/1/04/25 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner